

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बागपत द्वारा जनपद शामली के अन्तर्गत पानीपत-खटीमा मार्ग (NH-709AD) पैकेज-1 (LHS+RHS) कि०मी० 18.300 से 28.900 (Design Chainage Km. 19.250 to 35.580) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.80775 है० संरक्षित वन भूमि का प्रस्तावक/याचक विभाग के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना के द्वारा दिनांक-...15.../...7.../2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य में विभिन्न प्रजाति के कुल 1679 वृक्ष बाधक है। वृक्षों की सूची एवं उनका सारांश संलग्न है। इस परियोजना हेतु 19.80775 है० वन भूमि वन विभाग का संरक्षित क्षेत्र है। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और प्रस्तावित वन भूमि की मांग योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

(संजय कुमार मिश्रा)
परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
प.० साइड रो-बागपत
Sanjay Kumar Mishra
Project Director
P.U. - Bagpat

(
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना
)

(
प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
शामली।
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली
)